

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/राजस्व/02/2021

बच्चूसिंह पुत्र गिराज जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

राज० सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पो०

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि०
04.01.2021 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर उनवानी राज०
सरकार बनाम बच्चूसिंह प्रकरण सं. 09/2020 अन्तर्गत धारा 91
एलआर एक्ट

उपस्थित :-

- 1-श्री मुरारीलाल एड०, अभिभाषक अपीलान्ट।
- 2-राजकीय अभिभाषक।


निर्णय

दिनांक 28.10.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्ध रेस्पो० व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर के निर्णय दि० 04.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने अतिक्रमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 774/0.68 गै०मु०मरघट में से 150 वर्गमीटर पर पक्का मकान, टीनशैड व पशुवाडा से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा बिना पैमाइश किये


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

ही अपीलान्ट को 150 वर्गमीटर पर पक्का मकान, टीनशैड व पशुवाडा बनाने की रिपोर्ट की है, जबकि गै0मु0 मरघट मौके पर बदस्तूर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजूद है। इस तथ्य की ओर तहत न्यायालय ने कोई गौर न देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को पक्के निर्माण बाबत् जो नोटिस दिया गया है वह माता अतरकौर को इन्द्रा आवास योजना के तहत बना हुआ है। इस पर अपीलान्ट के पूर्वजों के मकान व नौहरे थे। विवादित आराजी ख0न0 776 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी के रकबा में है तथा नोटिस में वर्णित खसरा नम्बर की जगह 80 एयर अलग है। खसरा नम्बर 775/0.12 की भूमि की पैमाइश की जावे तो वह पोखर, पशु हांस्पीटल व उत्तर दिशा की ओर लगे खेतों एवं आरसीसी की जगह से पूरी हो जावेगी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अवगत कराया है कि पटवारी हल्का द्वारा पक्का मकान व पशुवाडा बनाने की रिपोर्ट की है, जबकि गै0मु0 मरघट मौके पर बदस्तूर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजूद है। इस तथ्य की ओर तहत न्यायालय ने कोई गौर न देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन मरघट पर पक्का मकान, टीनशैड व पशुवाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की गई है जो कि नियमान्तर्गत है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।


हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का अघापुर द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 774/0.68 में से 150 वर्गमीटर गै0 मु0 मरघट पर पक्का मकान, टीनशैड व पशुवाडा अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। तहत पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और ना ही अपीलान्ट द्वारा अपील में अपना कब्जा को सिद्ध करने बाबत् कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया है। चूंकि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। जिससे अपीलान्ट किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर